रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-26092023-248999
SG-DL-E-26092023-248999

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289]	दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2023/भाद्र 31, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 231
No. 289]	DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2023/BHADRA 31, 1945	[N. C. T. D. No. 231

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 सितम्बर, 2023

फा.सं. 44(29)/2022/समा0 कल्या0 वि0/प्रशा0II/भर्ती नियम/11853-11858.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0 840 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्द्वारा समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में **''केयरटेकर''** के पद हेतु भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (i) इन नियमों को केयरटेकर भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाए।

   (ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :–उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :–उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता :–वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह का अनुबंध कर चुका है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति :–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. बचाव:– इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	**केयरटेकर**
2.	**पदों की संख्या**	:	136*(2023) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह–'ग'
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–1 (रुपये 18000–56900/–)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	18–25 वर्ष के बीच* (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय।) **टीप** :– आयु–सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। *यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों को भरा जाना है, तो आयु सीमा 18–27 वर्ष के बीच होगी।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	**अनिवार्य**:– किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन अवश्य उत्तीर्ण किया हो तथा उनके पास किसी पंजीकृत संस्थान से वृद्धों तथा दिव्यांगों के संबंध में केयरटेकर के रूप में कार्य करने का छह (06) माह का व्यावहारिक अनुभव हो। **टीप 1** : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं। **टीप 2** : यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु–सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं

9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	02 वर्ष **टीप** : संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित अथवा कम से कम 2 सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना, जो परिवीक्षा को पूर्ण करने हेतु पूर्व– अपेक्षित होगी।
10.	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा..........................**	:	सीधी भर्ती द्वारा **टीप** :–''पदधारी द्वारा एक वर्ष या अधिक अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी रूग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण हुई रिक्तियां केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकती है। (क) नियमित आधार पर समरूप पदधारी तथा (ख) कॉलम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यता और अनुभव रखता हो।''
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो, तो.**	:	लागू नहीं
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है।**	:	स्थायीकरण के विचारार्थ समूह ''ग'' विभागीय स्थायीकरण समिति – 1. प्रधान सचिव/सचिव (प्रशा0 सुधा0) – **अध्यक्ष** 2. संबंधित विभागाध्यक्ष – **सदस्य** 3. उप–सचिव (सा0प्रशा0वि0) – **सदस्य** **टीप** :–यदि समिति का अधिसूचित अध्यक्ष समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो स्थायीकरण के विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से
तथा उनके नाम पर,

कृष्ण कुमार, निदेशक (समाज कल्याण)

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd September, 2023

F. 44(29)/2022/DSW/AdmnII/RRs/11853-11858.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification number G.S.R. 840 dated 13th July, 1959 the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Caretaker in the Department of Social Welfare, Government of National Territory of Delhi, namely: -

1. **Short title and commencement: -** (i) These rules may be called the Caretaker Recruitment Rules, 2023.

   (ii) They shall come into force on the date of its publication in official gazette.

2. **Number of Posts, Classification and level in the pay matrix: -** The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc: -** The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters connected therewith, shall as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification: -** No person-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Powers to relax: -** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by an order and for reasons to be recorded in wiring, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving: -** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	**Number of Posts**	**Classification**	**Level in the Pay Matrix**	**Whether selection or non-selection post**	**Age-limit for Direct Recruits**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Caretaker	136*(2023), *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group 'C'	Level-1 (Rs.18000-56900/-) of the Pay Matrix	Not Applicable	Between 18-25 years* (Relaxable for Government Servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/ Competent Authority. *In case of post being filled up by All India open competition, the age limitation would be between 18 years and 27 years.

Educational & other qualifications required for Direct Recruits	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**	**Period of probation, if any**
(7)	**(8)**	**(9)**
Essential: - Must have passed Matriculation from a recognized Board and having six (06)	Not applicable	Two Years. **Note:** Successful completion of mandatory Induction Training of at least 2 weeks' duration or

months practical experience of working as a Caretaker in respect of elderly and disabled from any registered institution. **Note1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification (s) regarding experience is /are relaxable at the discretion of the Competent Authorityin the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		as prescribed by the Cadre Controlling Authority shall be a pre-requisite for completion of probation.

(Method of recruitment, whether by Direct Recruitment or by Promotion…)	**In case of recruitment by Promotion/ Deputation/ Absorption,…)**
(10)	**(11)**
By Direct Recruitment. **Note:** "Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from offices of Central Government/ State Governments/ UTs. (a) Holding analogous posts on regular basis and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col.7".	Not applicable

If a DPC exists, what is its composition	**Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment**
(12)	**(13)**
Group "C" Departmental Confirmation Committee for considering confirmation 1.Pr. Secretary/Secretary (AR)-**Chairperson.** 2. Head of the Department concerned-**Member.** 3. Deputy Secretary (GAD) -**Member.** **Note :** Senior most member of the Departmental Promotion Committee for considering confirmation shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Committee happens to be junior to another member of the Committee.	Not applicable

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

KRISHAN KUMAR, DIRECTOR (SOCIAL WELFARE)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2023.09.26 19:50:09 +05'30'